न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 28.09.2024

वाद संख्या : 34 / 2024

दिनांक : 28.09.2024

सीएमएस संख्या: 2024 / 50

दायर दिनांकः 20.02.2024

1. मूलाराम पुत्र गोरुराम, जाति जाट (ढाका) निवारी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू (राजस्थान)
2. हेमाराम पुत्र गोरूराम, जाति जाट (ढाका) निवारी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू (राजस्थान)
3. दलाल पुत्र स्व० सीताराम, जाति जाट (ढाका) नाबालिग उम्र 16 वर्ष निवासी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू (राजस्थान) जरिये संरक्षक ताऊ मूलाराम पुत्र गोरूराम, जाति जाट (ढाका) निवासी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू (राजस्थान)

..................वादीगण

बनाम

1. नोरंग पुत्र स्व० थानाराम जाति जाट (डूकिया) निवारी ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)
2. रामकला देवी धर्मपत्नी स्व० बीरबल उर्फ बलबीरसिंह जाति जाट (डूकिया) निवासिनी ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)
3. राजेश कुमार पुत्र स्व० बीरबल उर्फ बलबीरसिंह जाति जाट (डूकिया) उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)
4. संजयसिंह पुत्र स्व० बीरबल उर्फ बलबीरसिंह जाति जाट (डूकिया) उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)
5. रामस्वरूप पुत्र स्व० बीरबल उर्फ बलबीरसिंह जाति जाट (डूकिया) उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम गुड़ावड़ी तहसील, सुजानगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)
6. निकिता पुत्री स्व० बीरबल उर्फ बलबीरसिंह जाति जाट (डूकिया) उम्र 30 वर्ष निवासीन। ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)
7. रिछपाल पुत्र स्व० सोहनराम जाति जाट (डूकिया) निवासी ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)
8. बनवारीलाल पुत्र स्व० सोहनराम जाति जाट (डूकिया) निवासी ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)
9. विकम पुत्र स्व० सोहनराम जाति जाट (डूकिया) निवासी ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)
10. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा जुलियासर ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राजस्थान)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय, सुजानगढ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राजस्थान)

............प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक कृषि भूमि एवं दुरूस्ती रेकार्ड

अन्तर्गत धारा 88 राज काश्तकारी अधिनियम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

उपस्थित :–1. वकील वादी श्री बनवारी लाल जाट उपस्थित

2. प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 की ओर से वकील श्री रमेश विरसु उपस्थित।

3 प्रतिवादी संख्या 11 राजपैराकार उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार से हैं कि रोही ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ के खेत खसरा नम्बर 318 रकवा 15 बीघा 11 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत 2055 से 2058 के तत्कालीन खातेदारान मु० चुकी बेवा थानाराम, सोहनराम नौरंग बीरबल पिसरान थानाराम कौम जाट साकिन देह खातेदार ने उक्त खसरा में से 16 सोलह बिस्वा भूमि गैर मुमकीन आवासीय प्रयोजन में संपरिवर्तन करवाई जिसके खसरा नम्बर 318 मिन बने व खसरा नम्बर 318 मिन रकबा 14 बीघा 15 पन्द्रह बिस्वा शेष रही जिसमें से उक्त चारों खातेदारान ने खं०नं0 318 मिन रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा रोही ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ में से 5 बिस्वा भूमि वादी सं० 1 मूलाराम को जरिये रजिस्टर्ड विकय–पत्र दिनांक 15–01–2004 को तथा खं०नं० 318 मिन रकवा 14 बीघा 15 पन्द्रह बिस्वा रोही ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ में से उक्त चारों खातेदारान ने वादी सं० 2 हेमाराम को 5 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय–पत्र दिनांक 15–01–2004 को एवं खसरा नम्बर 318 मिन रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा रोही ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ में से तत्कालीन खसरों के खातेदारान ने 4 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15–1–2004 को वादी सं० 3 दलाल के पिता स्व० सीताराम के नाम से निष्पादित करवाये। वादी सं० 3 दलाल के पिता सीताराम फौत हो चुके हैं, वादी सं० 3 दलाल की माता का भी स्वर्गवास हो चुका है। वादी सं० 3 के पिता सीताराम ने अपने जीवन काल में खं०नं० 318 मिन रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा में से कयशुदा 4 बिस्वा भूमि के संबंध में अपने एक मात्र पुत्र वादी सं० 3 के पक्ष में पंजीकृत वसीयत पत्र दिनांक 15–6–2017 को निष्पादित करवा दी जिसके आधार पर वादी सं० 3 वादगत 4 बिस्वाकृषि भूमि का स्वत्वाधिकार हो गया। वादी सं० 1 व वादी 2एवं वादी सं० 3 के पिता विक्रय पत्र के निष्पादित के दिन से ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज है वादीगण की खरीद शुदा भूमि पर पुख्ता रिहायश करते चले आ रहे है। वादगत भूमि पर वादीगण पिछले 18 वर्षो से निर्वाद निर्विधन रूप से कब्जा, काश्त, उपयोग उपभोग में चली आ रही है। वादीगण का वादगत खेत ख०नं0 2501/1222 रकबा 0.1897 हेक्टेयर पर कब्जा है। रोही ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ की जमाबन्दी सम्वत 2055 से 2058 खं०नं० 318 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा खातेदार मु० चुकी बैवा थानाराम, सोहनराम, नोरंग, बिरबल पिसरान थानाराम कौम जाट साकिनदेह खातेदार दर्ज था, फिर चारों खातेदारान ने खसरा नम्बर खं०नं० 318 में से 16 (सोलह) बिस्वा भूमि गैर मुमकिन आवासीय में संपरिवर्तन करवाई, जिसके खसरा नम्बर 318 मिन रकबा 16 बिस्वा गैर मुमकिन आवासीय व खं०नं0 318 मिन रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा दर्ज हुई, खं०नं० 318 मिन रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 रोही ग्राम गुड़ावड़ी के खं०नं० 318 मिन के स्थान पर नये खसरा नम्बर 1005/318 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा दर्ज किया गया । खसरा नम्बर 1005/318 में से 12 बिस्वा भूमि चारों खातेदारान ने बीरबलसिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाति जाट साकिन बाटड़ानाऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ को विक्रय कर दी जिसका नामान्तरकरण सं० 378 दर्ज हुआ तो खसरा नम्बर 1005/318 मीन का

अध्यक्ष 28/09/24
लोक अदालत
सुजानगढ

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ

Basant Adv.
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ

14 बीघा 3 बिस्वा रहा तथा खसरा नम्बर 1005/318 मिन 10 बिस्वा भूमि जरिये इन्तकाल नम्बर दिनांक 20–09–2005 को हनुमानाराम के नाम खातेदारी दर्ज हुई तथा शेष खसरा नम्बर 1005/318 मिन रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा दर्ज हुई जो चुकी वगैरा चारों खातेदारों के नाम से दर्ज हुई जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2066 रोही ग्राम गुड़ावड़ी में गत खं०नं० 1005/318 मिन के आधार पर नये खसरा नम्बर 1090/1005 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा बने जिसको फर्द बदर नं0 1 एक दिनांक 25–07–2006 द्वारा खसरा नम्बर 2002/1090 की बजाय खसरा नम्बर 1102/1090 स्वीकृत हुआ जिसका रकबा रकबा 13 वीघा 13 बिस्वा बारानी अव्वल दर्ज है तत्पश्चात् खसरा नम्बर 1102/1090 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा की संयुक्त खातेदार चुकी बैवाह थानाराम ने अपने हिस्से का हक त्याग कर दिया जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं० 501 दिनांक 20–04–2007 को ग्राम पंचायत में तस्दीक किया जाकर खातेदारी सोहनराम, नोरंग, वीरबल पिसरान थानाराम कौम जाट के नाम से खातेदारी दर्ज हुई तत्पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2066 के आधार पर खातेदारान सोहनराम वल्द थानाराम, नोरंग वल्द थानाराम, बीरबल वल्द थानाराम ने इन्तकाल नं0 553 दिनांक 07–03–2008 को विभाजन किया जाकर खसरा नम्बर 1102/1090 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा के विभाजन में खसरा नम्बर 1217/1102 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा सोहनराम वल्द थानाराम के हिस्से में तथा खसरा नम्बर 1218/1102 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1219/1102 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा नोरंग वल्द थानाराम के हिस्से में आये तथा खसरा नम्बर 1102/1090 (एक हजार दो एक हजार नब्बे) रकबा 13 (तेरह) बीघा 13 (तेरह) बिस्वा से खातेदार बीरबल वल्द थानाराम को कोई हिस्सा नहीं दिया गया। जबकि उपरोक्त तीनों विकय पत्र निष्पादित किये उस समय बीरबल 1/4 हिस्से का संयुक्त खातेदार था। पूर्व खातेदार बीरबल पुत्र थानाराम का स्वर्गवास दिनांक 14/05/2023 को हो चुका है। पूर्व खातेदार बीरबल पुत्र थानाराम के कानूनी जायज उताधिकारीगण प्रतिवादी सं० 2 ता 6 है। वादगत भूमि क्रय की उस समय प्रतिवादी प्रतिवादी सं० 2 ता 6 के पति–पिता संयुक्त खातेदार थे। इसलिए स्व० बीरबल के उतराधिकारियों को पक्षकार संयोजित किया है। यह कि मूल खं०नं० 318 मिन रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा के टुकड़े हो हुए विभाजन के समय नोरंग पुत्र थानाराम के हिस्से में खसरा नम्बर 1218/1102 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1219/1102 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा हिस्से पांति में आया जिसमें नोरंग वल्द थानाराम ने खसरा नंम्बर 1219/1102 रख 2 बीघा 16 बिस्वा में से 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि भंवरलाल पुत्र खुमाराम जाति जाट जेठु साकिन जेठुआ का बास तहसील फतेहपुर को विक्रय कर दी जिसके खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1221/1219 बने तथा 5 बिस्वा भूमि श्रवणकुमार पुत्र ताराचन्द जाति जाट मांडिया साकिन बाटोद तहसील फतेहपुर के नाम दर्ज हुई जिसके खसरा नम्बर 1220/1219 हुये तो नोरंग वल्द थानाराम के हिस्से में खसरा नम्बर 1222/1219 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 1218/1102 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा रहे जो नामान्तरकरण सं० 560 दिनांक 21–04–2008 में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2066 खसरा नम्बर रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 1222/1219 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा खातेदार नोरंग पुत्र थानाराम के नाम दर्ज हुई। जमाबन्दी रोही गुड़ावड़ी सम्वत 2071 से 2074 में खसरा नम्बर 1218/1102 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 1222/1219 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा खातेदार नोरंग पुत्र थानाराम के नाम दर्ज हुई। रोही गुड़ावड़ी सम्वत 2071 से 2074 जिसमें क्षेत्रफल की ईकाई बीघा बिस्वा में नाप दर्ज था और रोही गुडावड़ी की जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में क्षेत्रफल की इकाई हैक्टेयर नाप में परिवर्तित हो गई । नौरंग पुत्र थानाराम के खसरा नम्बर 1218/1102 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा के नये हेक्टेयर नाप से जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में खसरा

अध्यक्ष 28/09/24
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

Basant Adv.
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

1218/1102 रकबा 0.7839 हेक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1222/1219 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा के भाग नामान्तरकरण सं० 1987 दिनांक 19/01/2022 के आधार पर तीन भाग खसरा नम्बर /1222 रकबा 0.0473 हेक्टेयर सिवाय चक में दर्ज हो गया तथा दो भाग खसरा नम्बर 2500/1222 रकबा 0.1297 हेक्टेयर, ख०नं० 2501/1222 रकबा 0.1897 हेक्टेयर दर्ज हुआ जो जमाबन्दी सम्वत 2075–78 रोही गुड़ावड़ी में नोरंग पुत्र थानाराम दर्ज है। वादीगण सं० 1 ता 3 ख०नं० 2501/1222 रकबा 0.1897 हेक्टेयर पर कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग चला आ रहा है। जिसमें परिवार सहित वादीगण रिहायश करते आ रहे है। वादी सं० 1 मूलाराम ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15/01/2004 के आधार पर खसरा नम्बर 318 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा रोही गुडावड़ी में से दिनांक 15.01.2004 को वादी संख्या 1 मूलाराम ने 5 बिस्वा यानि 632.25 वर्गमीटर (0.063225 हेक्टेयर) भूमि तथा वादी सं० 2 दो हेमाराम ने 5 बिस्वा भूमि यानि 632.25 वर्गमीटर (0.063225 हेक्टेयर) भूमि इसी प्रकार वादी सं० 3 तीन के पिता सीताराम ने 4 बिस्वा यानि 505.8 वर्गमीटर (0.05058 हेक्टेयर) भूमि क्रय की थी। इसी प्रकार से तीनों वादीगण का वादगत कृषि भूमि में 0.17703 हेक्टेयर के संयुक्त खातेदार काबिज काश्तकार की घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादगत भूमि वादीगण सं० 1 व 2 तथा वादी सं० 3 के पिता स्व० सीताराम की दिनांक 15–01–2004 को रजिस्टर्डे विकय पत्र से खरीद सुदा होने एवं वादीगण का वादगत खेत ख०नं० 2501/1222 रकबा 0.1897 हेक्टेयर पर खरीद के दिन से ही कब्जा, काश्त, रिहायश व उपयोग, उपभोग होने से वादीगण को वाद का आधार प्राप्त है। वादगत भूमि वादीगण सं० 1 व 2 वादगत कृषि भूमि के क्रेतागण है एवं वादी सं० 3 के पिता स्व० सीताराम द्वारा वादगत कृषि भूमि कय की हुई है। वादगत कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 318 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा में से प्रतिवादीगण सं० 1, 2 ता 6 के पिता–पति बीरबल पुत्र थानाराम व 7 ता 9 के पिता स्व० सोहनलाल से क्रय की हुई है इसलिए पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत भूमि की विक्रेता चुकी वैया थानाराम फौत हो चुकी है जो प्रतिवादी सं० 1 की माता 2 ता 6 की सास व दादी एवं प्रतिवादी सं० 7 ता 9 की दादीजी थी। प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की कुछ भूमि प्रतिवादी सं० 10 के रहन रख रखी है, प्रतिवादी सं० 11 को कानूनी औपचारिकताओं के निवारण के लिए पक्षकार संयोजित किया गया है तथा धारा 80(2) सीपीसी के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत कर वाद प्रस्तुत किया है।

घोषित किया जाये कि रोही गुडावडी तहसील सुजानगढ़ के खेत खसरा नम्बर 318 रकबा 14 बिस्वा जिसके वर्तमान ख0नं0 2501/1222 रकबा 0.1897 हेक्टेयर पर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15/01/2004 के आधार पर वादी संख्या 1 मूलाराम ने 5 बिस्वा यानि 0.063225 हैक्टेयर भूमि क्रय की वादी सं० 2 हेमाराम ने 5 बिस्वा यानि 0.063225 हैक्टेयर कृषि भूमि क्रय की तथा वादी सं० 3 तीन के पिता सीताराम ने 4 बिस्वा यानि 0.05058 हेक्टेयर भूमि क्रय की है वादीगण संयुक्त खातेदार, काबिज काश्तकार व मालिक हैं। प्रतिवादी सं० 11 ग्यारह तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जावे कि रोही ग्राम गुड़ावड़ी के वर्तमान खसरा नम्बर ख0नं0 2501/1222 रकबा 0.1897 हेक्टेयर में मुताबिक डिकी के वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे व मौके पर जो आवागमन के रास्ता की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए वाद वादी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। वादीगण अधिवक्ता ने

28/09/24
अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

Basant
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

वादी संख्या 10 शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ को वाद से हटाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जो बाद सुनवाई वादगत खसरान रहनमुक्त होने के स्वीकार किया जाकर वाद से प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में संयोजित शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा जुलियासर को वाद से हटाया गया। प्रतिवादी संख्या 11 राजपैरोकार ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुडावडी का ख.न. 318 रकबा 15.11 बीघा मु. चुकी बेवाह थानाराम, सोहनराम, नोरंग, बिरबल पि. थानाराम कौम जाट के नाम खातेदारी में दर्ज था। जो नामान्तरकरण संख्या 304 (रुपान्तरण) दिनांक 10.10.2001 के द्वारा नया. ख.न. 1004/318 रकबा 16 बिस्वा गैर मु. आबादी व ख.न. 1005/318 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा बने। नामा० संख्या 378 (विकयपत्र) द्वारा ख.न. 1005/318 के नया ख.न. 1089/1008 रकबा 12 बिस्वा बीरबलसिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाट सा. बाटडानाउ तह. लक्ष्मणगढ व ख.न. व ख.न. 1090/1005 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा मु. चुकी बेवाह थानाराम, सोहनराम, नोरंग, बिरबल पि. थानाराम जाति जाट निवासी गुडावडी के नाम दर्ज हुए। नामा० संख्या 393 (विक्रयपत्र) द्वारा ख.न. 1090/1005 से नया ख.न. 1101/1090 रकबा 10 विस्वा हनुमानाराम पुत्र बिड़दाराम जाति प्रजापत निवासी सालासर व ख.न. 1102/1090 रकबा 13 बीघा 13 विस्वा मु. चुकी वेवाह थानाराम, सोहनराम, नोरंग, बिरबल पि. थानाराम जाति जाट के नाम दर्ज हुआ। नामा० संख्या 501 (हकत्याग) द्वारा ख.न. 1102/1090 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा सोहनराम, नोरग, बिरवल पि. थानाराम कौम जाट निवासी गुडावडी के नाम खातेदारी मे दर्ज हुआ।अनामा० संख्या 553 (खाता विभाजन) द्वारा ख.न. 1102/1090 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा से नया ख.न. 1217/1102 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा सोहनराम पुत्र थानाराम जाति जाट, ख.न. 1218/1102 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा व ख.न. 1219/1102 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा नोरंग पुत्र थानाराम जाति जाट निवासी गुडावडी के नाम दर्ज हुए। नामा० संख्या 560 (विकयपत्र) द्वारा ख.न. 1219/1209 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर नया ख.न. 1220/1219 रकबा 5 बिस्वा श्रवणकुमार पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी बाठोद तहसील फतेहपुर व ख.न. 1221/1219 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भंवरलाल पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी जेठवा कां बास तहसील फतेहपुर व ख.न. 1222/1219 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा नोरंग पुत्र थानाराम जाति जाट के नाम दर्ज हुए। रोही ग्राम गुडावडी की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 जिसमें क्षेत्रफल की ईकाई बीघा बिस्वा में नाम दर्ज था और ग्राम गुडावडी की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में क्षेत्रफल की ईकाई हैक्टेयर नाप में परिवर्तित हो गई है। परिवर्तन के वाद ख.न. 1222/1219 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा के नये नाप हैक्टेयर में 0.3667 हैक्टेयर बने। नामा० संख्या 1987 (समर्पण) दिनोंक 19.01.2022 के द्वारा ख.न. 122/1219 रकबा 0.3667 है० से नया ख.न. 2499/1222 रकबा 0.0473 हैक्टर सिचायचक (वास्ते रास्ता) 6 ख.न. 2500/1222 रकबा 0.1297 हैक्टर च ख.न. 2501/1222 रकबा 0.1897 हैक्टर नोरंग पुत्र थानाराम जाति जाट के नाम दर्ज है। ख.न. 318 मि. रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा रोही गुडावडी मे से खातेदार मु. चुकी बेवाह थानाराम, सोहनराम, नोरंग, बिरबल पि. थानाराम जाति जाट द्वारा तीन रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 15.01.2004 को परिवादी संख्या 01 मूलाराम पुत्र गोरुराम जाति जाट निवासी सालासर 5 बिस्वी (अर्थात 0.0632 हैक्टर), परिवादी संख्या 02 हेमाराम पुत्र गोरुराम जाति जाट निवासी सालासर 5 बिस्वी (अर्थात 0.0632 हैक्टर), परिवाद 03 सीताराम पुत्र गोरुराम जाति जाट निवासी सालासर 4 बिस्वी (अर्थात 0.0506 हैक्टर) के नाम पंजीबद्ध करवाये गये थे जिनका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद आज दिनांक तक नही हुआ है।

अध्यक्ष 28/09/24
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

Basant
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते वाद डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने भी मुताबिक इकबाल जवाब वादीगण डिक्री किये जाने बाबत कोई उजर आपति जाहिर नहीं होने का कथन किया।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी व नामान्तरण से स्पष्ट है कि रोही ग्राम गुडावड़ी के खसरा संख्या 318 तादादी 15 बीघा 11 बिस्वा चुकी बेवाह थानाराम, सोहनराम, नोरगं तथा बिरबल पि. थानाराम के नाम दर्ज हैं। उक्त खसरा में से 16 बिस्वा भूमि का आबादी में संपरिवर्तन करवाने के उपरान्त खसरा संख्या 1004/318 तादादी 16 बिस्वा किस्म आबादी तथा खसरा संख्या 1005/318 तादादी 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि शामिलात खातेदारान रही। नामान्तरण संख्या 378 रोही गुडावड़ी के मुताबिक खसरा संख्या 1005/318 तादादी 14 बीघा 15 बिस्वा किस्म बा.अब्बल में से उक्त खातेदारान ने 12 बिस्वा भूमि जरिये विक्रय पत्र बीरबलसिंह पुत्र ईश्वरसिंह को विक्रय कर दी। जिससे खसरा संख्या 1005/318 मिन में से 14 बीघा 03 बिस्वा भूमि खातेदारान के खातेदारी में शेष रही। नामान्तरण संख्या 393 रोही गुडावड़ी के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1005/318 मिन 14 बीघा 03 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि हनुमानाराम वल्द बिड़दाराम को विक्रय कर दी यानि खसरा संख्या सख्या 1005/318 मिन 13 बीघा 13 बिस्वा भूमि खातेदारान के नाम विकय के पश्चात शेष रही। नामान्तरण संख्या 47 के अनुसार खसरा संख्या 1102/1090 तादादी 13 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से चुकी द्वारा हकत्याग करने के पश्चात खसरा संख्या 1102/1090 तादादी 13 बीघा 13 बिस्वा भूमि खातेदार सोहनराम, नोरंग, बिरबल पि. थानाराम के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। मूल खसरा विभाजन के समय नोरगं पुत्र थानाराम के हिस्से में खसरा संख्या 1218/1102 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 1219/1102 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा में से नोरंग ने 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि भंवरलाल पुत्र खुमाराम को विकय कर दी। तथा 5 बिस्वा भूमि श्रवणकुमार को विकय कर दी जिसके खसरा संख्या 1220/1219 दर्ज हुए। खातेदार नोरगं के हिस्से खसरा संख्या 1222/1219 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा व खसरा संख्या 1218/1102 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा दर्ज हुआ। जमाबन्दी में क्षेत्रफल की इकाई हैक्टेयर नाप में परिवर्तित होने के बाद खसरा संख्या 1218/1102 रकबा 0.7839 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1222/1219 का नामान्तरण संख्या 1987 के अनुसार तीन भाग खसरा संख्या 2499/1222 रकबा 0.0473 हैक्टेयर सिवायचक, खसरा संख्या 2500/1222 रकबा 0.1297 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 2501/1222 रकबा 0.1897 हैक्टेयर दर्ज हुआ जो जमाबन्दी संवत् 2075–2078 रोही गुडावड़ी में नोरंग पुत्र थानाराम के दर्ज है जिस पर वादीगण मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में नोरंग पुत्र थानाराम के नाम खातेदारी में दर्ज है जो कि वादीगण/वादीगण के पिता की क्रयशुदा भूमि है। अतः वाद वादीगण न्यायालय डिक्री किया जाना उचित समझता है।

28/09/24
अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण राष्ट्रीय लोक अदालत में घोषित किया जाता है [illegible], रोही गुडावड़ी तहसील सुजानगढ़ के खेत खसरा संख्या 318 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा जिसके नए खसरा संख्या 2501 / 1222 रकबा 0.1897 हैक्टेयर पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों दिनांक 15.01.2004 के आधार पर क्रमशः वादी संख्या 1 मूलाराम का 5 बिस्वा यानि 0.063225 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 हेमाराम का 5 बिस्वा यानि 0.063225 हैक्टेयर तथा वादी संख्या 3 के पिता द्वारा क्रय अनुसार 4 बिस्वा यानि 0.05058 हैक्टेयर भूमि के संयुक्त खातेदार तथा काबिज काश्तकार हैं। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

28/09/24

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता(सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवेन्यू अधिकारी(सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत – राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़ दिनांक 28.09.2024

मूलाराम आदि बनाम नोरंग आदि
दावा बाबत घोषणात्मक कृषि भूमि एवं दुरस्ती रिकॉड
मुकदमा न0 34 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रुहाजरी श्री बनवारी लाल जाट एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण राष्ट्रीय लोक अदालत में घोषित किया जाता है कि रोही गुडावड़ी तहसील सुजानगढ़ के खेत खसरा संख्या 318 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा सख्या 2501/1222 रकबा 0.1897 हैक्टेयर पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों दिनांक 15.01.2004 के आधार पर क्रमशः वादी संख्या 1 मूलाराम का 5 बिस्वा यानि 0.063225 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 हेमाराम का 5 बिस्वा यानि 0.063225 हैक्टेयर तथा वादी संख्या 3 के पिता द्वारा क्रय अनुसार 4 बिस्वा यानि 0.05058 हैक्टेयर भूमि के संयुक्त खातेदार तथा काबिज काश्तकार हैं। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज...मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख28माह 09, 2024

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीक का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़